सं0सं0–6 / एन–13–90 / 2018–.......

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

नवसृजित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल में से खगड़िया, शिवहर एवं अन्य नर्सिंग स्कूलों के प्राचार्य / प्राचार्या द्वारा नवनिर्मित भवन में दरार होने, कुर्सी–टेबुल तथा अन्य अधिष्ठापित उपस्कर / सामग्री टुटे–फूटे होने, स्कूल भवन / छात्रावास के छत से पानी लिकेंज / भवन में जल–जमाव होनें, छात्र–छात्राओं की आवश्यकतानुसार फर्नीचर (गद्दा, बेड, कुर्सी, टेबुल) बिजली की सुविधा पंखा आदि पुर्णरूपेण अधिष्ठापित नहीं होने के संबंध में सूचित किये जाने के आलोक में विभागीय बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–159 / वि0स0को0 दिनांक–01.11.2018 में एक जाँच समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है :–

(i) संबंधित जिला के सिविल सर्जन।

(ii) संबंधित जिला के नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य / प्राचार्या।

(iii) संबंधित जिला के नर्सिंग स्कूल के एक वरीय सिस्टर ट्यूटर।

2. उक्त जाँच समिति अपने–अपने संस्थानों का भौतिक आधारभूत निरीक्षण आदि समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन, अपने मंतव्य सहित एक पक्ष के अंदर समर्पित करेगें।

ह0 / –
(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : 6 / एन–13–90 / 2018 1326(6) पटना दिनांक 28 / 11 / 2018

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन शिवहर, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सिवान, कैमुर, सुपौल, दरभंगा, सासाराम, जहानाबाद, शेखपुरा, सहरसा एवं बाँका / संबंधित जिले के प्राचार्य / प्राचार्या, नवसृजित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग स्कूल को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

E:\Rakesh\A\Order